(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/1620 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.04.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2014-15.

---

1. सुभाष आ. मोहनलाल गौर
2. गुट्टूलाल आ. मोहनलाल गौर
   निवासी सोमलवाड़ा
   तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

गौरीशंकर आ. परसराम रघुवंशी
निवासी सोमलवाड़ा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री संजय गौर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रमेश सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/7/18 को पारित)

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के याचिका क्रमांक MP 1847/2017 MP 1847/2017 आदेश दिनांक 23.01.2018 के पालन में मूल प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/1620 पुन: नम्बर पर लिया गया है । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व, स्वामित्व ग्राम नागझिर स्थित सर्वे क्रमांक 38/1 व 38/2 कुल रकबा 2.428 हेक्टेयर भूमि का दिनांक 08.06.2010 को हुए सीमांकन, जिसमें अनावेदक की भूमि रकबा 1.32 एकड़ पर आवेदकगण

का अवैध कब्जा होने के आधार पर तहसीलदार सिवनी मालवा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कब्जा वापिस दिलाये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2011-12 दर्ज कर दिनांक 16.11.2012 को आदेश पारित कर आवेदकगण का कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10.11.2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 07.05.2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । इस नयायालय द्वारा दिनांक 08.06.2016 को आदेश पारित कर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में आई साक्ष्यों की विवेचना करते हुए विधि के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करें। इस न्यायालय के आदेश के पालन में अपर आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 18.04.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/1620 में दिनांक 09.11.2017 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक MP 1847/2017 में दिनांक 23.01.2018 को आदेश पारित कर इस न्यायालय का आदेश निरस्त कर पुन: उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये। अत: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदकगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 38/2-ख के विधिवत सीमांकन करवाया गया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिनांक 17.04.2014 को प्रस्तुत किया गया है, उस प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 11 में यह

स्पष्ट उल्लेख है कि नक्शा दुरूस्त न होने से सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदकगण एवं पड़ोसी कृषक उक्त खसरा नम्बरों का दुरूस्तीकरण कराने के पश्चात् ही सीमांकन करायें । ऐसी स्थिति में यदि नक्शा दुरूस्त नहीं है तो अनावेदक के आवेदन पर किया गया सीमांकन कैसे वैध माना जावेगा, जबकि आवेदकगण एवं अनावेदक एक ही खसरे 38 के भाग में काबिज है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश आवेदकगण के विरूद्ध पारित किये थे, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमांकन की कार्यवाही करना बताया जा रहा है, उक्त सीमांकन की कार्यवाही के समय उभयपक्ष उपस्थित नहीं थे। अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जबकि सीमांकन के समय स्वयं अनावेदक उपस्थित नहीं था, जिसकी पुष्टि संहिता की धारा 250 प्रकरण में अनावेदक ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को माना है। आवेदकगण को किस भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है, इस बात की जानकारी नहीं थी, इस तथ्य को अनावेदक के भाई रविशंकर ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में माना है, जिसका समर्थन सूरजसिंह एवं दीपक ने भी किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2015 में सीमांकन रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की उपस्थिति प्रस्तुत की गई है, किन्तु पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये जाने का लेख है। पंचनामे में अनावेदक की उपस्थिति के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वह स्वयं सीमांकन के समय उपस्थित नहीं था, ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन किसी भी रूप में मान्य किये जाने योग्य नहीं है। सीमांकन के समय उभयपक्षों का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन सीमांकन विधि अनुसार न होकर त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार पर अनावेदक किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(3) आवेदकगण एवं उनकी मां कमला बाई पत्नि स्व. श्री मोहनलाल के संयुक्त स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 38/2 ख रकबा 4.184 हैक्टेयर अर्थात् 10.34 एकड़, कमला बाई पत्नि मोहनलाल, गट्टूलाल पिता मोहनलाल, सुभाष आ. श्री मोहनलाल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है, लेकिन अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 म.प्र. के विचाराधीन प्रकरण में कमला बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि कमलाबाई भी हितबद्ध पक्षकार थी और न ही कमला बाई विधवा मोहनलाल

एवं कीर्ति बाई पुत्री मोहनलाल को सीमांकन के संबंध में नोटिस दिये थे। इस तथ्य को अनदेखा कर गंभीर भूल की गई है तथा जो आदेश पारित किया गया है, निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 250 के तहत दो वर्ष के अंदर कब्जा दिलाने का अधिकार है। प्रकरण में बंदोबस्त के समय से ही आवेदकगण भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। इस तथ्य को अनावेदक के भाई रविशंकर ने अपने प्रतिपरीक्षण में माना है कि अतिक्रमण पांच वर्षों से है। ऐसी स्थिति में जब अतिक्रमण पांच वर्षों से है तो तहसीलदार द्वारा बेदखली के जो आदेश पारित किये गये हैं, वह विधि विरूद्ध होकर शून्य है, जो कि आलोच्यपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.06.2010 से 08.06.2010 तक सीमांकन कार्य करना अपने प्रतिवेदन में बताया गया है, लेकिन इसके विपरीत रविशंकर ने अपने प्रतिपरीक्षण में सीमांकन दिनांक 08.06.2010 को 11 बजे से 6 बजे तक करना बताया और दीपक ने सीमांकन दिनांक 05.06.2010 को 11 बजे से 6 बजे तक करना बताया है और सीमांकन के बाद पंचनामा बनाया था। ऐसी स्थिति में सीमांकन के समय कौन किस दिनांक को उपस्थित था या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख उनके प्रतिवेदन में नहीं किया है, जिस कारण सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है।

(6) अनावेदक द्वारा जिस भूमि का सीमांकन कराया गया है वह खसरा नं. 38/1 एवं 38/2 संयुक्त रकबा 2.428 हैक्टेयर अर्थात् 6 एकड़ का सीमांकन दिनांक 08.06.2010 को करना बताया है, जबकि राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम खसरा क्रमांक 38/1 ख रकबा 2.428 हैक्टेयर दर्ज चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अहम बिन्दु पर ध्यान न देते हुए आलोच्यपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये, समवर्ती निष्कर्ष विधिसम्बत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

(2) संहिता की धारा 250 के तहत प्रथमत: तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया वह विधि एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के तहत संहिता की धारा 129 के प्रावधान के तहत विहित वांछित कार्यवाही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा अनावेदक गौरीशंकर अभिलिखित भूमि सर्वे क्रमांक 38/1 एवं 38/2 ख रकबा 6.00 एकड़ का मालिकी स्वामी है। इस तथ्य को अनावेदकगण स्वीकार करते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालयों में आई साक्ष्य से स्पष्ट प्रामणित है। प्रकरण में कमलाबाई एवं कीर्तिबाई को नोटिस दिया और साक्ष्य का अवसर दिया गया है, साक्ष्य में भी इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली है। अगर उनके साक्षियों के कथन का अवलोकन करेंगे तो पायेंगे कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है और राजस्व निरीक्षक हंसकुमार आनेकर एवं कोटवार दीपक ने यह बताया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई, जो सुभाष व गट्टूलाल ने ली है। उक्त का नोटिस भी रिकॉर्ड में मौजूद है। ऐसी स्थिति में सूचना देने के उपरांत जानबूझकर विधिक कार्यवाही में भाग न लेना और उपस्थित रहकर पंचनामा पर हस्ताक्षर न करना यह सभी तथ्य इस बात के धोतक है कि गौरीशंकर की भूमि पर 1.32 एकड़ पर नाजायज कब्जा कर कब्जा न सौंपना और उससे बचने के उद्देश्य से ऐसे अभिवचन कर प्रकरण लगाकर कब्जा न ले सके, इसलिए सीमांकन की जानकारी न होना बता रहे हैं। जहां जानबूझकर अवहेलना की जाना है, वहां इस प्रकार से पुनरीक्षण आधार नहीं माना जा सकता है। इस तर्क के समर्थन 2012 रा.नि. 2056 हाईकोर्ट, 2013 2. एम.पी.एस.टी. 320, एवं 2013 3. एम.पी.एल.जे. 184 व रा.नि. 2013 पेज 277 हाईकोर्ट, 2013 सी.एल.आर.जे. पार्ट 3 रेवेन्यू बोर्ड भाग 4, 2012 रा.नि. नोट नं.1 हाईकोर्ट व एम.पी.एल.जे. 2012 पार्ट 1 पेज 158 अवलोकनीय है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत प्रमाणित करते हैं कि सीमांकन विवादित नहीं है। मात्र अभिलिखित स्वामी एक से अधिक हैं, तो सूचना संबंधी प्रश्न की जहां अभिलिखित स्वामी सुभाष, गट्टू, कमलाबाई, कीर्तिबाई प्रकरण में साक्ष्य दी है। इससे स्पष्ट है कि सीमांकन की सम्पूर्ण जानकारी उन्हें है और कीर्तिबाई, कमलाबाई ने कोई भी अपील रिविजन नहीं की है, जबकि वास्तविक कब्जाधारी सुभाष व गट्टूलाल के बारे में प्रतिवेदन व पंचनामा के आधार पर कब्जाधारी पाये गये हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कब्जा प्राप्त करने का अधिकार मूल कब्जाधारी जो अभिलिखित स्वामी हैं, जो सुभाष व गट्टू हैं और उन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में कमलाबाई, कीर्तिबाई का प्रश्न है तो

उनके द्वारा कोई आपत्ति, रिविजन, अपील आदि नहीं की गई है और जिसने भी संयुक्त रूप से वांछित कार्यवाही में भाग लिया है, तो यह माना जावेगा कि जो कृषक कब्जाधारी काश्त करता है, उसी से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु जानकारी नहीं है या सूचना नहीं दी गई, यह कहना सर्वथा निरर्थक है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 में हुए सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई है । वर्ष 2010 के सीमांकन को आवेदक ने किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है। इस सीमांकन के पंचनामे के अनुसार सीमांकन प्रक्रिया के दौरान आवेदक उपस्थित थे। सीमांकन के समय उपस्थित सूरजसिंह तथा कोटवार दीपक ने भी अपने बयानों में आवेदक की उपस्थिति की पुष्टि की है तथा सीमांकन की भी पुष्टि की है। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने भी सीमांकन की पुष्टि की है। आवेदक ने केवल परिवार के सदस्यों के ही बयान कराये हैं, स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया है। जहां तक 2014 के सीमांकन का प्रश्न है, जो कि आवेदक क्रमांक 2 गुड्डूलाल के आवेदन पर 26.05.2014 को हुआ, जिसकी प्रति अपर आयुक्त के यहां पेश की गई है, उसमें भी यही पुष्टि हुई है कि आवेदक का उसके नाम खसरे में दर्ज भूमि से अधिक पर कब्जा है, जबकि अनावेदक का उसके नाम दर्ज भूमि से कम भूमि पर कब्जा है। स्पष्ट है कि आवेदक का अनावेदक की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा प्रकरण में आये साक्ष्यों से स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हुआ है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक तथा तथ्यात्मक आधार पर निकाले गये हैं। इस सम्बन्ध में इसी प्रकार 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर